4586 761000 4489

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु.5 Rs.5

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND 03AA 160596

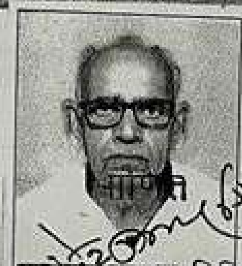

सुरेन्द्र कुमार गिरि

स्टाम्प विक्रेता

लाo नंo 99/2003

मेदिनीनगर, पलामू

(विक्रय पत्र)

1. लेख्यकारी का नाम वो पूरा पता :–

1 श्री दीनानाथ तिवारी, PAN.- AKYPT7[illegible]
आधार नं0 2389 5064 58[illegible]

2. श्री आनंद मुरारी तिवारी, PAN.- AAKPT4931B.
आधार न0 7728 4531 5659

दोनों के पिता स्व0 पंडित रामदास तिवारी

3. श्री राजकमल तिवारी, PAN.- AKYPT7495C.
आधार नं0 9222 5965 0804

4. श्री प्रेमकमल तिवारी, PAN.- AUJPT5016C.
आधार नं0 4072 6151 0360

5. श्री सत्येन्द्र तिवारी, PAN.- AFKPT6418G.
आधार नं0 5729 8700 4168

6. श्री नील कमल तिवारी, PAN.- AFKPT1636G.
आधार नं0 6250 8392 3197

चारो के पिता स्व0 गणेश तिवारी, सभी जाति–ब्राह्मण, सभी निवास स्थान ग्राम–रेड़मा, पोस्ट एवं थाना मेदिनीनगर, जिला पलामू पेशा खेती वो विक्रेता नं0–02 पेशा–नौकरी एवं खेती, भारतीय।

2. **लेख्यधारी का नाम वो पूरा पताः–**

श्रीमती सुनैना देवी पति श्री विनय कुमार पाण्डेय, कायम जाति–ब्राह्मण, निवास स्थान ग्राम कोपे, पोस्ट एवं थाना–मनिका, जिला–लातेहार, पेशा–गृहिणी, भारतीय PAN.- A/F.

आधार नं0 2997 4121 6124

3. **लेख्य प्रकार** :– केवाला बयला कलामी।
विक्रय पत्र Sale Deed

4. **विक्री मूल्य मो0**–7,84,000 (सात लाख चौरासी हजार रूपये)।
बाजार मूल्य मो0–7,84,000 (सात लाख चौरासी हजार रूपये)।
आवासीय दरः– 2,05,700 / – प्रति डीसमील।

5. **सम्पति** :–मवाजी 3.81 (तीन दशमलव आठ एक) डीसमील जमीन टांड़ आवासीय गृह निर्माण योग्य एवं गृह निर्माणि के लिए अंदर वाके मौजा रेड़मा, थाना मेदिनीनगर, जिला पलामू में विक्रेता हकियत कास्त रैयती मौरूसी जमीन का पार्ट प्लौट पार्ट होल्डींग खास अपने अपने हिस्से में प्राप्त जमीन बिक्री करते हैं। जो उपरोक्त वर्णित भूमि सरकारी भूमि, वन भूमि, मन्दिर, मस्जिद मठ–मठिया, गुरूद्वारा, गिरजाघर, नदी तालाब की भूमि भू–दान में प्राप्त अथवा किसी अन्य प्रकार से प्रतिबंधित भूमि में से नहीं है। इसके बिक्री होने से छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है।

रजिस्ट्री औफिस वो जिला सब रजिस्ट्री औफिस मोकाम मेदिनीनगर पलामू।

दो भाग में जमीन का माप इस प्रकार है :–

(1) उतर से दक्षिण दोनो तरफ 23 फीट 6 ईच
पूरब से पश्चिम उतर तरफ 36 फीट 0 ईच
पूरब से पश्चिम दक्षिण तरफ 35 फीट 0 ईच
(2) उतर से दक्षिण पूरब तरफ 19 फीट 0 ईच
उतर से दक्षिण पश्चिम तरफ 20 फीट 0 ईच
पूरब से पश्चिम उतर तरफ 43 फीट 0 ईच
पूरब से पश्चिम दक्षिण तरफ 42 फीट 0 ईच।
पूरब रोड तरफ विक्रेता के द्वारा पूर्व से ही 8 फीट 0 ईच, चौड़ा रास्ता के लिए छोड़ा गया है तथा क्रेता द्वारा खरीदगी रकवा में से 2 फीट चौड़ा रास्ता के लिए छोड़कर गृह निर्माण कार्य करेंगे।

थाना नं0	तौजी नं0	खेवट नं0	हल्का नं0
188	51	01	आवासीय

खाता नं0	प्लौट नं0	रकबा	चौहदी
84 (चौरासी)	832/2771 (आठ सौ बतीस बट्टा सताईस सौ एकहतर)	3.81 डी0	उ0–राजेन्द्र पाण्डेय द0–नारद तिवारी पु0–8 फीट चौड़ा रास्ता वो नीज बिक्रेता प0–प्लौट नं0 832/2771 का अंश

जमा 01 जमा 01 3.81 (तीन दशमलव आठ एक) डी0 जमीन विक्री करते हैं।

<u>सलाना मालगुजारी</u> :– 01 (एक) रूपये अलावे शेष।
<u>नाम मालिक</u> :– झारखण्ड सरकार द्वारा अंचलाधिकारी मेदिनीनगर, जिला पलामू।

आगे उपरोक्त वर्णित सम्पति खाना सं0 पाँच वसीका हाजा की जमीन पर बिक्रेतागण का हकियत कास्त रैयती मौरूसी हक हासिल है जिसका लगान निर्धारण ए0आर0 केश नं0 884/55–56 से बिक्रेता नं0 1, एवं 2 के पिता एवं 3 से 6 के दादा पंडित रामदास तिवारी के नाम से हुआ था। जो वर्तमान में रैयती मौरूसी एवं खरीदगी सभी जायदाद का सभी हिस्सेदारों के बीच आपसी बटवारा कर अंचल कार्यालय मेदिनीनगर में अपने अपने प्राप्त तख्ते के अनुसार आवेदन देकर सभी हिस्सेदारों ने अपना अपना तख्ते के अनुसार डिमाण्ड अलग अलग करा लिये। जिसका सरकारी रसीद बिक्रेता नं0 1 का मांग पंजी II के जमाबन्दी सं0–5798, बिक्रेता नं0 2 का 5799 एवं बिक्रेता नं0 3 से 6 का 5800 पर कटते चला आ रहा है।

जिसपर हमलोगों का शान्तिपूर्ण दखल कब्जा एवं स्वामित्व निर्विवाद रूप से चला आ रहा है।जिसपर किसी प्रकार का सरकारी गैरसरकारी कर्जभार वारदेन नहीं है। जो कि हर तरह से पाक साफ वो निर्विवाद है।

इस समय हमलोगों को रूपये का सख्त जरूरत वास्ते भरने खुदरा महाजन वो करने अपने अपने कई अन्य जरूरी काम का है जो बिना उपरोक्त सम्पति विक्री किये बगैर रूपये का प्रबंध करना खास अपने अपने पास से संभव नहीं है।

लेहाजा हमलोगों नें उपरोक्त वर्णित जमीन विक्री करने की बातचीत आस–पास के लोगों में किया वो इस बात का प्रचार–प्रसार भी कराया, संभावित कई खरीदार आये लेकिन अंत में खाना सं0 दो वसीके हाजा के खरीदार आये वो उपरोक्त सम्पति का भली–भांती निरीक्षण कर सभी सुविधाओं को देखते हुऐ मो0 7,84,000 (सात लाख चौरासी हजार रूपये) में सौदे को पक्का कर लिये जो आज के बाजार भाव के मुताविक उचित है इससे ज्यादा जरसमन देने को कोई दूसरा खरीदार तैयार नहीं हुए।

अतः हमलोगों नें मो0 7,84,000 (सात लाख चौरासी हजार रूपये) में मवाजी 3.81 (तीन दशमलव आठ एक) डी0 जमीन मौजा रेड़मा, थाना मेदिनीनगर, जिला पलामू का बेचा वो आज के रोज से उपरोक्त सम्पति के उपर खरिदार को अपना–अपना संपूर्ण हक अधिकार दखल कब्जा वो स्वामित्व दे दिया।

इस प्रकार उपरोक्त सम्पति के उपर आज तक हमलोगों को या हमलोगों के किसी भी वारिसान को जो भी हक अधिकार दखल कब्जा वो स्वामित्व प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता वो सब के सब आज के रोज से ही खरीदार को प्राप्त हो गया।

अब आज के रोज से खरीदार को चाहिए की उपरोक्त सम्पति के उपर कायम वो काबिज दाखिल रह कर, मकान बनावें, चाहर दिवारी दें, बाग–बगीचा लगावे या जिस तरह हो सके उपरोक्त सम्पति से लाभ उठावें वो वजरिये अंचल मेदिनीनगर में अपने नाम से दाखिल खारीज करा कर झारखण्ड सरकार को साल वो साल माल अदा कर रसीद हासिल कर लिया करें।

विदित हो कि इस केवाला विक्रय पत्र के साथ नक्शा का एक प्रति संलग्न है। जो इस विक्रय पत्र का एक अंग है एवं हू–ब–हू है। जिसमें विक्री की गयी भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है।

बिक्रेतागण केवाला का कुल जरसम्मन मो0 7,84,000 (सात लाख चौरासी हजार) रूपये रजिस्ट्री के पहले ही वसुल पा चुके हैं। अब बिक्रेतागण को खरीदार से एक भी पैसा पाना शेष नहीं रह गया है।

अतः हमलोगों नें अपना अपना कुल नफा वो नुकसान को अच्छी तरह समझ बुझ कर बिना किसी के जोर दबाव में आये अपने तन वो मन की पूर्ण स्वस्थता में आकर अपने पूरे परिवार के सहमति से यह केवाला विक्रय पत्र खरीदार के नाम से लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण तथा सनद रहे।

आज दिनांक–01.11.2017

टंकक

santu
सन्तु कुमार

सत्येन्द्र कुमार गिरि
दस्तावेज लिपिक
ला0 नं0-99/2003
मेदिनीनगर, पलामू

सुनैना देवी - 1-11-2017

प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज में जिनका फोटो लगा है, का बांए हाथ के सभी अंगुलियों का निशान मेरे सामने लिया गया है।

कातिबः– सत्येन्द्र कुमार गिरि (सत्येन्द्र कुमार गिरि) ला0 नं0–99 / 03 मेदिनीनगर, पलामू। केवाला पढ कर दोनों पक्षों को सुना एवं समझा दिया।